प्रेस नोट दिनांक : 26.08.2026
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

नाबालिग के अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

बहला-फुसलाकर कार में बैठाकर ले जाने के बाद छेड़छाड़ का आरोप, स्थानीय पुलिस की त्वरित कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण एवं छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 25.08.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री कटरा मेदनीगंज स्थित मां शीतला देवी धाम से दर्शन कर वापस जाने हेतु साधन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी दौरान अभियुक्त मो0 आरिश द्वारा उसके पिता को जानने की बात कहकर उसे कार में बैठा लिया गया और वाहन को एटीएल ग्राउंड ले जाकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ की गई।

इसी दौरान वहां से गुजर रहे 01 व्यक्ति ने वाहन में नाबालिग को देखकर हस्तक्षेप किया, जिस पर अभियुक्त वाहन लेकर मौके से भागने लगा। उस व्यक्ति द्वारा परिजनों एवं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एवं वादी पक्ष द्वारा पीछा किए जाने पर वाहन को करनपुर, सिविल लाइन स्थित वीटू मॉल के सामने रोककर अभियुक्त को पकड़ लिया गया।

घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर में अन्तर्गत धारा 137(2)/87/74/75 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 शैलेष कुमार एवं का0 सागर सिंह द्वारा अभियुक्त मो0 आरिश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त
1. मो0 आरिश पुत्र मो0 आरिफ, उम्र करीब 21 वर्ष निवासी 338/1 घोसियाना बेगम वार्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 शैलेष कुमार, का0 सागर सिंह, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक : 26.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित "हत्या का प्रयास" के अभियोग में वांछित ₹10,000/- 10,000/- के इनामियां 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अदद डण्डा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग में वांछित ₹10,000/- 10,000/- के इनामियां 02 अभियुक्त मेराज अहमद खान उर्फ मेराजउद्दीन एवं मो0 आमिल उर्फ आमिर को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 23.08.2026 को वादी के पिता निवासी ग्राम सण्डौरा (हरिहरगंज), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ अपने कमरे के सामने चाय की दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि पूर्व रंजिश के चलते नामजद अभियुक्तगण एक राय होकर कार से मौके पर पहुंचे तथा मेराज अहमद द्वारा कट्टे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। इसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डण्डे एवं लोहे की रॉड से मारपीट की गई तथा कमरे में घुसकर भी हमला कर कपड़े फाड़ दिए गए, जिससे उनके हाथ-पैर में चोटें आईं। हल्ला-गुहार पर मौके पर मौजूद लोगों द्वारा घटना देखी गई तथा अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 423/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/ 333/351(3)/324(4)/109(1)/109(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 रामकिशन, रि0का0 अविनाश सिंह व रि0का0 विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 423/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/ 333/351(3)/324(4)/109(1)/109(2) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित ₹10,000/-10,000/- के अभियुक्त 1.मेराज अहमद खान उर्फ मेराजउद्दीन पुत्र स्व0 इलियास अहमद, उम्र करीब 51 वर्ष, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ 2. मो0 आमिल उर्फ आमिर पुत्र कयास अहमद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज-फतनपुर हाईवे के किनारे पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मेराज अहमद खान उर्फ मेराजउद्दीन पुत्र स्व0 इलियास अहमद, उम्र करीब 51 वर्ष, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मो0 आमिल उर्फ आमिर पुत्र कयास अहमद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम थाहीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त मेराज अहमद खान उर्फ मेराजउद्दीन पुत्र स्व0 इलियास अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 351/92 धारा 147, 148, 149, 307, 506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 80/93 धारा 323, 504, 506, 307 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 96/93 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 144/96 धारा 504, 506, 307 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 171/96 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 170/2002 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 178/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0 04/2005 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आमिल उर्फ आमिर पुत्र कयास अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 423/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 323, 351(3), 324(4), 109(1) बी0एन0एस0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी

01 अदद डण्डा

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 रामकिशन, रि0का0 अविनाश सिंह व रि0का0 विष्णु कुमार गुप्ता, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 26.08.2026

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त बांकेलाल उर्फ रमेश कुमार को थाना क्षेत्रान्तर्गत खरहर बार्डर, घाटमपुर पिडियन का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रविप्रकाश यादव व का0 विकास जायसवाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 233/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त बांकेलाल उर्फ रमेश कुमार पुत्र स्व0 मेवालाल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम कादीपुर पूरे हीरावन, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत खरहर बार्डर, घाटमपुर पिडियन का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बांकेलाल उर्फ रमेश कुमार पुत्र स्व0 मेवालाल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम कादीपुर पूरे हीरावन, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 - 231/2025 धारा 137(2),140(2),103(1),238,3(5),61(2) bns थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 233/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रविप्रकाश यादव व का0 विकास जायसवाल, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।